नवलगढ़

23.8.4 वकील प्रार्थी हाजर। जवाबी प्रति [illegible] के
नहीं आने से बहस नहीं हुई
6.9.4 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

6.9.4 वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] पक्ष उत्तर
जवाब दावा प्रस्तुत किया। बहस हेतु
पत्रावली पेश की गई [illegible] का
आदेश कि 23.9.4 को पेश हो

23.9.4 वकील पक्षकारान उपस्थित [illegible] स्वीकार
किया जाता है [illegible] के [illegible]
[illegible] किया। [illegible] पक्षकारान अपना अपना
[illegible] पत्रावली [illegible] हुआ [illegible]
[illegible] तथा [illegible] तकमील [illegible] [illegible]
दाखिल दफ्तर हो [illegible] 23.9.4 को
[illegible] के [illegible]

M.L. Sharma
SDO नवलगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 10/2019

अशोक कुमार पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी खोजास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रतिवादी

दावा अं.धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

वकील वादी—श्री महेश कुमार वर्मा
वकील प्रति0—राज पैरोकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 23.09.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम खोजास की भूमि ख.न. 100/0.95, 136/0.39, 171/1.93, 49/1.82, किता 4 कुल रकबा 5.09 है0 ग्राम खोजास की सरहद में स्थित है, उक्त भूमि के 1/15 हिस्से का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है, लगान अदा करता है व उपयोग उपभोग करता है। बीरबलराम के फौत होन पर वारिसान का विरासत के आधर पर नामान्तकरण दर्ज हुआ है जिसके तहत बीरबलराम के वारिसान मनीराम व राकेश कुमार के नाम रिकार्ड दर्ज हुआ है लेकिन सहवन से वादी के घर पर पुकारे जाने वाले नाम से नामान्तरकरण में बीरबलराम के पुत्र अशोककुमार का नाम राकेशकुमार दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि वास्तविकता यह है कि वादी का सही नाम अशोक कुमार है जिसको भी दुरूस्त किया जावे। आधार कार्ड की प्रति दावे के सलग्न है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि जमीन ख.न. 100/0.95, 136/0.39, 171/1.93, 49/1.82, किता 4 कुल रकबा 5.09 है0 ग्राम खोजास के रिकार्ड में वादी का नाम राकेशकुमार के स्थान पर अशोक कुमार दर्ज किया जावे इसी तरह की घोषणा की जाकर रिकार्ड में अंकन किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार उपस्थित तथा जबाब रिपोर्ट प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम खोजास के चौक में पूछताछ करने पर बताया गया कि राकेशकुमार पुत्र बीरबलराम तथा अशोककुमार पुत्र बीरबलराम जाति जाट दोनो एक ही व्यक्ति है। आधार कार्ड व पहचान पत्र में अशोक कुमार पुत्र बीरबलराम दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत 2075—78 में राकेशकुमार पुत्र बीरबलराम दर्ज रिकार्ड है। पूछताछ व दस्तावेजों के अनुसार राकेशकुमार पुत्र बीरबलराम के स्थान पर अशोककुमार पुत्र बीरबलराम दर्ज किया जाना उचित होना अंकित किया गया।

जबाब प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम खोजास संवत 2075—78 में भूमि ख.न. 100/0.95, 136/0.39, 171/1.93, 49/1.82, किता 4 कुल रकबा 5.09 है0 क्रम सं0 6 पर राकेशकुमार पुत्र बीरबलराम हि0 1/15 जाति जाट सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र में वादी का नाम अशोक कुमार पुत्र बीरबलराम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित होना बताया गया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम खोजास की भूमि ख.न. 100/0.95, 136/0.39, 171/1.93, 49/1.82, किता 4 कुल रकबा 5.09 है0 में राकेशकुमार पुत्र बीरबलराम के स्थान पर अशोककुमार पुत्र बीरबलराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को

Scanned by CamScanner

शित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा कारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner